यूको बैंक

प्रधान कार्यालय

10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700 001

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 27 जून, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 मिनी ओडीटोरियम, साइन्स सिटी, जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-700 046 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

1) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा बीती अवधि में बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।

2) निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

'संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना,1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बैंठकें) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), भारत सरकार ('जीओआई'), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी')और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (आई सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विमियम अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद 'निदेशक मंडल' कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक ₹10/- के 150,00,00,000 ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्था आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ('एनआरआई') कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों ('क्यू आई बी') जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्यूअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई') या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि

UCO BANK

Head Office

10, B. T. M. Sarani, Kolkata- 700 001

Notice

NOTICE is hereby given that the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on 27th June, 2018 at 10.30 A.M. at Mini Auditorium, Science City, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata-700046 to transact the following business:-

1) To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 150,00,00,000 equity shares of ₹10/- each (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which

बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इशू, निजी प्लेसमेंट/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉफ क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उदेश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी एलओडीआर विनियम के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 के प्रावधानों,आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से 'समुचित प्राधिकारी' कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन,सहमति, अनुमति और या/मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (जिसे इसके बाद 'अपेक्षित अनुमोदन' कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और/या अन्य किसी दस्तावेंजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर नियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो,पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई पी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) को ईक्विटी शेयर जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में'

i. पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प

are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

'RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

'RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003., the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the SEBI LODR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more trances, equity shares to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

i. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and

की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।"

ii. बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हों, पर शेयर आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

iii. आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्ते निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्यंक श्रंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम मे प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शतों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदन सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी वुक रनर्स, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी, अधिमान शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीान, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

ii. The Bank is, in pursuant to provisons of Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

iii. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies."

"आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित ईश्यू कि प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवयकता न पड़े, अथवा इस उद्देय या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(आर. के. टक्कर)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28 मई, 2018

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors

sd/-

(R.K. Takkar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2018

नोटः

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास इस बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **22 जून, 2018** को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700 001 में इस बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **22 जून, 2018** को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित परोक्षी फार्म, यदि हो, तभी प्रभावी होगा जब वह **22 जून, 2018** को उपर्युक्त पते पर को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में भी जमा कर दिया जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि लिखें। शेयरधारक / परोक्षीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ पैन कार्ड, निर्वाचन आईडी, पासपोर्ट आदि अवश्य रखें। समुचित पहचान के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

शेयरधारक रजिस्टर बंद करना

वार्षिक बही बंद करने के प्रयोजन से शेयरधारक रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बहियाँ गुरूवार, 21 जून, 2018 से बुधवार, 27 जून 2018 तक (उक्त दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

लाभांशः

आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/ 2004-05 दिनांक 04.05.2005 के अनुसार केवल वे ही बैंक लाभांश घोषित करने के पात्र हैं जो उपर्युक्त परिपत्र में सूचीकृत मानदंडों का अनुपालन करते हैं। चूँकि बैंक का नेट एनपीए अग्रिमों के 7% से ज्यादा है तथा चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹4436 करोड़ की हानि दर्शाए जाने के कारण भी निदेशक मंडल ने लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 22nd June,2018.An employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section , Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting , i.e., on or before the closing hours of the Bank on 22nd June, 2018.The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 22nd June, 2018 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from 21st June, 2018 to 27th June, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure.

DIVIDEND

As per RBI Notification No.DBOD.No.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005, only those Banks which comply with the criteria listed out in the above said circular are eligible to declare dividend. Since, Net NPA of the Bank is more than 7% of the advances and also for the reason that Bank posted loss of ₹4436 Crore during the current year, no dividend is recommended by the Board.

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund"

अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनियाँ अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205C(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें।

डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन और अंतरण दावा

मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पतों आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को दें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके निक्षेपागार भागीदार के पास उनका डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि ठीक से अद्यतन किए गए हैं।

अंतरण दर्ज करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिट : यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को भेजे जाएँ।

अदावाकृत शेयर

बैंक के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित अधूरे डाक पते एवं बाद में परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों/मालिकों से दावा/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सेबी, एलओडीआर विनियम,2015 के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तीकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों/मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited. The details of the shareholders whose dividend remained unclaimed are available on our Bank's website under Investors Section.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND LODGEMENT OF TRANSFERS

Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc.,

Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. are duly updated with their Depository Participant.

Lodgement of Transfers

Share Certificates along with transfer deeds should be forwarded to Bank's Registrar and Share Transfer Agents, M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

दिनांक 31.03.2018 को अदावाकृत शेयरों का विवरण निम्न प्रकार है:/Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2018 :

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2017	205	28300
ii.	वर्ष 2017-18 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2017-18	1	200
iii.	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2018	204	28100

अदावाकृत शेयरों के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण

Voting through Electronic Means

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility

में, आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा कारोबार समय में मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मदों पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स सवीता ज्योति, कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेंगे।

रिमोट ई-मतदान के निर्देश

1. https://evoting.karvy.com यूआरएल टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करें।
2. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
3. लॉगइन विवरण (यानी ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र/वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित ई–मतदान सूचना में वर्णित प्रयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
4. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
5. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुन: प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
6. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
7. लॉग इन में सफल होने पर सिस्टम आपको 'इवेंट यानी 'यूको बैंक का चयन करने के लिए कहेगा।
8. अंतिम तारीख यानी 20 जून, 2018 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
9. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुन:संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
10. विविध फोलियो/ डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डी-मैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।
11. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
12. पोर्टल 24.06.2018 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 26.06.2018 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
13. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से संपर्क कर सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव:

to vote on the business to be transacted at the Annual General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed Ms. Savita Jyoti, Practising Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING :

1. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in letter sent by e-mail/e-voting notice sent along with Annual Report). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank.
8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 20th June, 2018 can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 24.06.2018 to 5 p.m. on 26.06.2018.
13. In case of any queries, the shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd.

रिमोट ई-मतदान के अलावा, मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतदान की शुरूआत इस आशय की घोषणा के तुरंत बाद कर दी जाएगी और मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 20.06.2018 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

तुलन पत्र / वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

बैठक में विचाराधीन कार्यसूची मदों पर शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली पूछताछ, यदि कोई हो, का स्वागत है। ऐसी पूछताछ पर्याप्त समय से पहले सामने आए तो बैंक प्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में रहेगा।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-323, गचीबावली,फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032दूरभाष: (040) 67161500 फैक्स: (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare .com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस(तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाष: 033-44557227, फैक्स: 033-22485625

नोटिस की कार्यसूची मद सं. 2 पर उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण:

अक्तूबर, 2003 के दौरान बैंक ने प्राथमिक रूप से पूँजी पर्याप्तता को सशक्त बनाने के लिए प्रति शेयर ₹2/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 20 करोड़ ईक्विटी शेयर के निर्गम द्वारा शुरूआती सार्वजनिक पेशकश की। बाद में बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेयर निर्गमित करके पूँजी जुटाई है। शुरूआती सार्वजनिक पेशकश के बाद पूँजी संरचना में निम्नांकित परिवर्तन हुए हैं :

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF AGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 20thJune, 2018.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Computershare (P) Limited)._

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholdersare advised that copies of the AnnualReport will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

Shareholders Queries

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST AGENDA ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

During October, 2003, Bank made its Initial Public Offer by issue of 20 Crore equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹2/- per share, primarily to strengthen capital adequacy. Subsequently Bank has raised capital by Issue of equity shares to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis.

शुरूआती सार्वजनिक पेशकश के बाद पूँजी संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

Following are changes in capital structure subsequent to Initial Public Offer:

निर्गम की तारीख Date of Issue	विवरण Details	पूँजी वृद्धि/कमी (रु. करोड़ में) Increase/Decrease in Capital (₹ In Crore)	संचयी प्रदत्त पूँजी (रु. करोड़ में) Cumulative Paid up Capital (₹ in Crore)
01.10.2003	शुरूआती सार्वजनिक पेशकश / Initial public offer	200	799.36
22.12.2008	ईक्विटी का पीएनसीपीएस (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर) में परिवर्तन Conversion of equity into PNCPS (Perpetual Non Cumulative Preferential Shares)	(250)	549.36
25.03.2011	प्रति शेयर ₹120.27 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹120.27 per share	78.16	627.52
30.03.2012	प्रति शेयर ₹82.49 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम Preferential Isue to Government of India and LIC of India at an issue price of ₹ 82.49 per share	37.19	664.71
08.03.2013	प्रति शेयर ₹77.46 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Isue to Govt. Of India at an issue price of ₹77.46 per share	87.92	752.63
18.02.2014	प्रति शेयर ₹77.19 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹77.19 per share	25.91	778.54
27.02.2014	प्रति शेयर ₹77.19 के निर्गम मूल्य पर पीएनसीपीएस का ईक्विटी में परिवर्तन/ Conversion of PNCPS into equity at an issue price of ₹77.19 per share	236.17	1014.71
27.03.2015	प्रति शेयर ₹70.21 के निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to LIC of India at an issue price of ₹70.21 per share	60.88	1075.59
10.05.2016	प्रति शेयर ₹41.47 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹41.47 per share	225.46	1301.05
05.10.2016	प्रति शेयर ₹41.45 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹41.45 per share	186.97	1488.02
29.11.2016	प्रति शेयर ₹37.74 के निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to LIC of India at an issue price of ₹37.74 per share	71.70	1559.72
09.08.2017	प्रति शेयर ₹37.44 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹37.44 per share	307.16	1866.88
31.03.2018	प्रति शेयर ₹31.16 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹31.16 per share	441.27	2308.15

31 मार्च, 2018 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.94 रहा है। चूँकि आंतरिक पूँजी सृजन नहीं हुआ है, कारोबार विस्तार एवं बासेल III मानदंडों को पूरा करने के लिए हर प्रकार से बाजार एवं अन्य 'शोतों से ईक्विटी पूँजी जुटाकर टियर-I पूँजी बढ़ाने की आवयकता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2018 is 10.94. Since there is no internal capital generation, there is every need to augment Tier - I capital by raising equity capital from market and other sources for business expansion and meeting Basel III norms.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिए जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जब तक कि शेयररधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा ोयरधारकों को अन्यथा अनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।

संकल्प, बैंक को पब्लिक इश्य पर अनुसरण द्वारा, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के अधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्य आगम बैंक को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने में सक्षम करेगा।

आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा पारिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सात्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल को अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किए बगैर बैक की निधि उगाही के लिए आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत यथा निर्धारित के अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है। आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्य के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसका मूल्य 'प्रासंगिक तिथि' के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। 'प्रासंगिक तिथि' का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम वशर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवयकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवयकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श करते हुए निर्धारित की जाएंगी।

चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्पि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार यूको बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 एवं लागू या आवयक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमों/ सहमति अनुसार होगा।

उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।

आबंटित ईक्विटी शेयर हर प्रकार से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रयोजन से बैंक को एक विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त करने की जरूरत होगी। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में किए गए उल्लेख के अनुसार विशेष संकल्प पारित किए जाने की संस्तुति करता है। बैंक के किसी भी निदेशक का, उनकी स्वयं की शेयरधारिता तक की सीमा को छोड़कर, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प(पों) से कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(आर. के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28 मई, 2018

provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares by way of Follow on public issue, Qualified Institutional Placement, Preferential Issue and/or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authorityor authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise theterms of the issue.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of theSpecial Resolutions as mentioned in the notice.None of the Directors of the Bank is interested orconcerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

sd/-

(R.K. Takkar)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2018